तारीख हुक्म	हुक्म	हुक्म की जा

11 12/21

राज पत्रावली प्रशासन गांवो की ओर अभियान-2021 में निर्माण राजीव गांधी ग्राम पंचायत मुंडका.....पर पेश हुई।

पत्रावली से संबंधित विषय निम्नानुसार है कि आवंटन नं० 1139/2108, 1337, 1338, 1768, 1154, 993, 1092, 1093, 1264, 981, 982, 1220, 556, 558, 559, 2007, 2009, 2034, 2048, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043 वार्ड नं० 60 मटरूनीसराना जिला-अलवर (राज०) जिसमें राधेश्याम द्वारा वादी का नाम विल्लू यादव पुत्र बालकिशन के स्थान पर विवेक पुत्र बालकिशन ओंकित कर दिया गया। जो विलेख दस्तावेज है जिसकी पुनर्गठित दस्तावेज - आधार कार्ड, पहचान पत्र, फीवोट बालन कार्ड आयकर कार्ड, के हवाले किया जाकर विवेक पुत्र बालकिशन के स्थान पर विल्लू यादव पुत्र बालकिशन ओंकित किया जाने का लोक निर्माण संशोधन किया जावे।

हमने वादी वकील की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वादी के शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय की राय के मुताबिक वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाते है।

अतः स्वाता [illegible] 170, 171, 172, 173, 174, 175 [illegible] ग्राम नं० 60 मटरूनीसराना जिला-अलवर (राज०) की हल्के पटवारी में ओंकित नाम विवेक पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.01.27 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

कदमा ..... नं ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामकिशन के स्थान पर "विक्रम पुत्र रामकिशन दर्ज किये जाने की दरकार की जाती है। इसी अनुसार हल्कापटवार निर्धारित समयावधि में खसरा गिरदावरी में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष निर्धारित यथावत रहेगा। निर्धारित में आगे कार्यवाही हेतु तहसीलदार नीमराना को अग्रेषित की जाती है। पत्रावली रिकार्ड अनुसार होकर नकल से अलग है। वाद पूर्व दाखिल दफ्तर हो।	

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.01.27 17:21:50 IST
Reason: SelfAttested